(b) how much expenditure has been incurred on the administration and how much on the construction of the Dam till July, 1972?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI B. N. KUREEL) : (a) The Progress of the Baira Siul Project is generally in accordance with the revised schedule drawn up during the mid-term appraisal of the Fourth Plan, under which the first set will be commissioned by the end of 1974.

(b) An expenditure of Rs. 0.19 crore has been incurred on establishment and administration out of a total expenditure of Rs. 7.86 crores on the project till the end of July 1972.

Increase in Exports to Japan

3932. SHRI HARI SINGH : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the export of Indian goods to Japan will increase substantially due to liberal import policy of Japan; and

(b) if so, the expected increase in export to Japan are compared to the year 1970?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE): (a) and (b). Subject to demand in Japan and competition from other countries it is expected that there will be marginal increases in exports of certain items.

छतरपुर, मध्य प्रदेश की रनगुवा नहर योजना के संबंध में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के बीच मध्यस्तता

3933. **श्री नाथूराम अहिरराव :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले बजट सत्र में उन्होंने छतरपुर (मध्य प्रदेश) की रनगुवा नहर योजना के कार्य के संबंध में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार के बीच मध्यस्थता करने का वचन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या प्रयत्न किए, उनका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश की रंगवान परियोजना तथा कुछ अन्य परियोजनाओं पर 22-7-1972 को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच विचार-विमर्श हुआ था और शेष मतभेदों को दूर कर लिया गया है । दोनों राज्यों के बीच में औपचारिक समझौते के शीघ्र होने की संभावना है ।

सिंधु नदी परियोजना की रिपोर्ट

3934. **श्री नाथूराम अहिरवार :**
श्री लम्बोदर बलियार :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की सिन्धु परियोजना की रिपोर्ट स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को कब प्राप्त हुई थी; और

(ख) इसे कब स्वीकृति दी गई, और यदि स्वीकृति नहीं दी गई तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) और (ख). सिन्ध परियोजना चरण एक राज्य सरकार से जनवरी, 1971 में प्राप्त हुई थी । इस परियोजना को मध्य प्रदेश की विकासात्मक योजनाओं में सम्मिलित करने के लिए निकट भविष्य में स्वीकार करने की संभावना है ।

पायरी नदी परियोजना का प्रतिवेदन

3935. **श्री नाथूराम अहिरराव :**
श्री लम्बोदर बलियार :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की पायरी नदी परियोजना का परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार को किस तारीख को प्राप्त हुआ ; और

(ख) उसे कब तक अनुमोदन दे दिए जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). पेयरी स्कीम को मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त, 1971 में भेजा था। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग की टिप्पणियों के उत्तर राज्य से 14-7-72 को प्राप्त हुए थे और उनकी जांच की जा रही है।

मध्य प्रदेश मे तापीय बिजलीघर स्थापित करना

3936. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा मध्य प्रदेश में कोरबा, अमर कंटक तथा सतपुड़ा में तीन (प्रत्येक 920 मेगावाट की क्षमता वाले) तापीय बिजली घर (थरमल स्टेशन) स्थापित करने की प्राजेक्ट रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को स्वीकृति हेतु वर्ष 1971 में भेजी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो अब तक स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को सम्पूर्ण देश के विद्युत विकास के लिए सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार की गई स्कीम के अनुरूप एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। पांचवीं योजना में मध्य प्रदेश में 1460 मेगावाट ताप विद्युत के अनुमानित योग की संभावना है।

केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग में भर्ती नीती

3937. **श्री नाथूराम अहिरराव :**
श्री लम्बोदर बलियार :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग में भर्ती की वर्तमान नीति क्या है ;

(ख) क्या राज्यों से प्रतिनियुक्ति के लिए कोई निश्चित कोटा है ;

(ग) केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग में गत तीन वर्षों में, राज्यवार, कितनी प्रतिनियुक्तियां सदस्य, मुख्य अभियंता, संचालक तथा उप-संचालक के पद के लिए की गई ; और

(घ) केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग में जिन राज्यों के अधिकारियों को अभी तक प्रतिनियुक्त नहीं किया गया, उन राज्यों को, विशेषकर मध्य प्रदेश को, अधिक प्रतिनिधित्व देने के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). भर्ती नियमों के अनुसार, केंद्रीय जल और विद्युत आयोग में अध्यक्ष तथा सदस्य के पद, लोक संघ सेवा आयोग के माध्यम से वरिष्ठ सिंचाई/विद्युत इंजीनियरों के मिले-जुले क्षेत्र से अखिल भारतीय आधार पर चयन द्वारा भरे जाते हैं। मुख्य अभियंताओं के 50 प्रतिशत पद केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत पद राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। निदेशक, उपनिदेशक तथा सहायक निदेशक के ग्रेड में 75 प्रतिशत पद विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाते हैं। मुख्य अभियंता, निदेशक, उप निदेशक तथा सहायक निदेशकों के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए लोक सेवा संघ आयोग, विभिन्न राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा सिफारिश किए गए योग्य अधिकारियों में से चयन करता है।

(ग) अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या L. T.—3545/72)।